डाक-व्यय की पूर्व अदायगी के बिना डाक द्वारा भेजे जाने के लिए अनुमत. अनुमति-पत्र क्र. रायपुर-तकनीकी 10-5/ दुर्ग/17/2001.

पंजी क्रमांक छत्तीसगढ़/दुर्ग/ सी. ओ. रायपुर/17/2001.

छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 3] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 18 जनवरी 2002—पौष 28, शक 1923

विषय—सूची

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 21 दिसम्बर 2001

क्रमांक 842/1225/2001/1-8/स्था.—श्री स्टीफन खलखो, उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग को दिनांक 19-12-2001 से 5-1-2002 तक 18 दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

2. श्री स्टीफन खलखो, उप-सचिव के अवकाश अवधि में उनका कार्य अपने वर्तमान कार्य के साथ-साथ श्री पी. सी. सूर्य, उप-सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग को सौंपा जाता है.

3. प्रमाणित किया जाता है कि श्री स्टीफन खलखो अवकाश पर नहीं जाते तो उप-सचिव, सा. प्र. विभाग के पद पर कार्य करते रहते.

4. श्री खलखो, उप-सचिव को अवकाश अवधि में वही अवकाश वेतन एवं भत्ते की पात्रता होगी जो उन्हें अवकाश के पूर्व मिलती थी.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अरूण कुमार, मुख्य सचिव.

नियंत्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2002.

रायपुर, दिनांक 21 दिसम्बर 2001

क्रमांक 1749/3648/साप्रवि/2001/2.—श्री संजय कुमार ओझा, भा. व. से. (1989), उप-सचिव, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की सेवाएं वन विभाग से ली जाकर पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग को मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, सरगुजा के पद पर पदस्थापना हेतु सौंपी जाती हैं.

रायपुर, दिनांक 29 दिसम्बर 2001

क्रमांक एफ. 2-12/2001/1-8/स्था.—श्री आर. के. विज, भा. पु. से., उपायुक्त, परिवहन एवं पदेन संयुक्त सचिव, परिवहन विभाग को, अस्थाई रूप से आगामी आदेश तक, पदेन विशेष सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, परिवहन विभाग घोषित किया जाता है.

रायपुर, दिनांक 1 जनवरी 2002

क्रमांक 1843/साप्रवि/2002/स्था./2.—भारतीय प्रशासनिक सेवा के 1993 आवंटन वर्ष के निम्नलिखित अधिकारियों को, आवंटन वर्ष से नौ वर्ष की सेवा दिनांक 1-1-2002 को पूर्ण कर लेने के फलस्वरूप, भा.प्र.से. (वेतन) नियम, 1954, के नियम 3 (1) के परन्तुक के अंतर्गत, उक्त तिथि (1-1-2002) से, सेवा के कनिष्ठ प्रशासनिक वेतनमान (12750-375-16500) में अस्थाई रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न रूप से नियुक्त किया जाता है :—

क्र. (1)	नाम अधिकारी (2)	वर्तमान पदस्थापना (3)
1.	श्री अमित अग्रवाल	कलेक्टर, महासमुंद
2.	श्री बी. एस. अनंत	संयुक्त सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, खनिज संसाधन विभाग.
3.	श्री मनोहर पाण्डेय	संयुक्त सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, समाज कल्याण. महिला बाल विकास, खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण.
4.	श्री शिव कुमार तिवारी	सचिव, माननीय अध्यक्ष, विधान सभा.

रायपुर, दिनांक 1 जनवरी 2002

क्रमांक 1841/साप्रवि/2002/स्था./2.—श्री सुबोध कुमार सिंह, भारतीय प्रशासनिक सेवा (1997) को वरिष्ठ श्रेणी वेतनमान (रुपये 10650-325-15850) में पदोन्नत किया जाता है. श्री सुबोध कुमार सिंह, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, बस्तर के पद पर आगामी आदेश तक पदस्थ रहेंगे. उन्हें वरिष्ठ श्रेणी वेतनमान का लाभ विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण करने के दिनांक से अर्थात् (4-10-2001) से देय होगा.

रायपुर, दिनांक 1 जनवरी 2002

क्रमांक 1845/साप्रवि/2002/स्था./2.—नीचे तालिका के खाना-2 में भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों को उनके नाम के सामने खाना-3 में अंकित तिथि से भारतीय प्रशासनिक सेवा के प्रवर श्रेणी वेतनमान (सलेक्शन ग्रेड) (15100-400-18300) में अस्थाई तथा स्थानापन्न रूप से, आगामी आदेश तक, नियुक्त किया जाता है :—

क्र. (1)	नाम अधिकारी जिन्हें प्रवर श्रेणी में नियुक्त किया गया, वर्तमान पदस्थता तथा उसका प्रकार (संवर्गीय/असंवर्गीय) (2)	तिथि जब से प्रवर श्रेणी में नियुक्त किया गया (3)
1.	श्री अमिताभ जैन, (1989) कलेक्टर, रायपुर.	1-1-2002
2.	श्री एम. एस. धुर्वे (1989) अपर आयुक्त, रायपुर/बिलासपुर संभाग.	1-1-2002
3.	श्री बी. एल. ठाकुर (1989) कलेक्टर, धमतरी	1-1-2002

रायपुर, दिनांक 1 जनवरी 2002

क्रमांक 1847/साप्रवि/2002/स्था./2.—श्री आलोक शुक्ला, भारतीय प्रशासनिक सेवा (1986), को अधिसमय वेतनमान (रुपये 18400-500-22400) में पदोन्नत किया जाता है तथा उन्हें सचिव, लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग के पद पर आगामी आदेश तक पदस्थ किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
इंदिरा मिश्रा, प्रमुख सचिव.

रायपुर, दिनांक 7 दिसम्बर 2001

क्रमांक 1630/3428/2001/2/साप्रवि/लीव/आईएएस.—श्री बी. एल. अग्रवाल, विशेष सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, महिला बाल विकास एवं समाज कल्याण विभाग को दिनांक 8-11-2001 से 27-11-2001, 20 दिवस का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री अग्रवाल को आगामी आदेश तक विशेष सचिव के पद पर महिला बाल विकास एवं समाज कल्याण विभाग में पुन: पदस्थ किया जाता है.

3. अवकाश काल में श्री अग्रवाल को अवकाश वेतन व भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री अग्रवाल अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्यरत रहते.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
दुर्गेश मिश्रा, संयुक्त सचिव.

रायपुर, दिनांक 20 दिसम्बर 2001

क्रमांक 481/691/2001/1/6.—राज्य शासन द्वारा इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक 240/264/2001/1/6 दिनांक 15-10-2001 के अनुक्रम में ग्राम अचानकमार, थाना कोटा जिला बिलासपुर में घटित घटना की न्यायायिक जांच हेतु गठित आयोग के कार्यकाल में दिनांक 18-12-2001 से तीन माह की अवधि वृद्धि किये जाने की स्वीकृति प्रदान करता है

रायपुर, दिनांक 31 दिसम्बर 2001

क्रमांक 1838/3535/साप्रवि/2001/2.—श्रीमती निधि छिब्बर, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत कोरिया को दिनांक 30-10-2001 से 9-11-2001 (11 दिवस) तक का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. दिनांक 10 एवं 11-11-2001 सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति दी जाती है.

2. श्रीमती निधि छिब्बर यदि अवकाश पर नहीं जाती तो अपने पद पर कार्यरत रहती

3. अवकाश काल में श्रीमती छिब्बर को अवकाश, वेतन व अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे जो उन्हें अवकाश पूर्व मिलते थे.

रायपुर, दिनांक 31 दिसम्बर 2001

संशोधित आदेश

क्रमांक 1840/3080/साप्रवि/2001/2.—श्री ए. के. विजयवर्गीय, प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, गृह विभाग को इस विभाग के आदेश क्रमांक 1373/3080/साप्रवि/2001/2, दिनांक 12-11-2001 को दिनांक 19-11-2001 से 29-11-2001 (11 दिवस) का लघुकृत अवकाश स्वीकृत किया गया था इसी तारतम्य में दिनांक 19-11-2001 से 1-12-2001 (11+2) कुल 13 दिवस का लघुकृत अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा दिनांक 2-12-2001 का सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति दी जाती है.

2. इस विभाग के आदेश दिनांक 12-11-2001 में कालम (2) से (5) तक की शर्तें यथावत रहेगी.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
पी. सी. सूर्य, उप-सचिव.

रायपुर, दिनांक 6 दिसम्बर 2001

क्रमांक 1721/2001/1-8/स्था.—श्री के. आर. मिश्रा, उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन वित्त एवं वाणिज्यिक कर विभाग को दिनांक 7-6-2001 से 30-6-2001 तक 24 दिन अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा दिनांक 5, 6 जून 2001 एवं 1 जुलाई 2001 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री मिश्रा को उप-सचिव, वित्त एवं वाणिज्यिक कर विभाग में पुन: पदस्थ किया जाता है.

3. श्री मिश्रा को अवकाश अवधि में अवकाश वेतन व भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

4. प्रमाणित किया जाता है कि श्री मिश्रा अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

रायपुर, दिनांक 6 दिसम्बर 2001

क्रमांक 1723/2001/1-8/स्था.—श्री जी. डी. गुप्ता, अवर सचिव, छत्तीसगढ़ शासन महिला एवं बाल विकास विभाग को दिनांक 12-3-2001 से 16-3-2001 तक 5 दिन अर्जित अवकाश, दिनांक 14-5-2001 से 16-7-2001 तक 64 दिन लघुकृत अवकाश एवं दिनांक 24-9-2001 से 3-10-2001 तक 10 दिन अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा दिनांक 10, 11, 17, 18

सितम्बर 2001, दिनांक 12, 13 मई 2001, दिनांक 23-9-2001 एवं 2 अक्टूबर 2001 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री गुप्ता को अवर सचिव, महिला एवं बाल विकास विभाग में पुन: पदस्थ किया जाता है.

3. श्री गुप्ता को अवकाशकाल में अवकाश वेतन व भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

4. प्रमाणित किया जाता है कि श्री गुप्ता अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. एस. रघुवंशी, अवर सचिव.

रायपुर, दिनांक 21 दिसम्बर 2001

क्रमांक 1755/3510/साप्रवि/1/2/आईएएस.—श्री एस. के. कुजूर, विशेष सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, स्कूल शिक्षा विभाग को दिनांक 22-12-2001 से 5-1-2002 तक 15 दिवस का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा इस अवकाश के साथ दिनांक 6-1-2002 को सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति दी जाती है.

2. श्री कुजूर की अवकाश अवधि में श्री टी. एस. छतवाल, सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, शिक्षा विभाग अपने वर्तमान कर्त्तव्यों के साथ अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक श्री कुजूर, विशेष सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग का चालू कार्यभार संभालने के लिए भी नियुक्त किया जाता है.

3. अवकाश से लौटने पर श्री कुजूर को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक स्थानापन्न विशेष सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग के पद पर पुन: पदस्थ किया जाता है.

4. अवकाशकाल में श्री कुजूर को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

5. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री कुजूर अवकाश पर नहीं जाते, तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विभा चौधरी, अवर सचिव .

जेल विभाग

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 23 जून 2001

क्रमांक एफ 2/13/जेल/2001.—मध्यप्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2000 (क्र. 28 सन् 2000) की धारा 79 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य सरकार एतद्द्वारा निम्नलिखित आदेश बनाती है, अर्थात् :—

आदेश

1. (1) इस आदेश का संक्षिप्त नाम विधियों का अनुकूलन आदेश, 2001 है.

   (2) यह नवम्बर 2000 के प्रथम दिन से संपूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य पर लागू होगा.

2. इस आदेश की अनुसूची में, समय-समय पर, यथा संशोधित ऐसी विधियां जो छत्तीसगढ़ राज्य की संरचना के अव्यवहित पूर्व मध्यप्रदेश राज्य में प्रवृत्त थी, एतद्द्वारा तब तक छत्तीसगढ़ राज्य में विस्तारित की जाती है तथा प्रवृत्त रहेगी जब तक कि वे निरसित या संशोधित न कर दी जाए. उपान्तरणों के अध्यधीन रहते हुए समस्त विधियों में शब्द "मध्यप्रदेश" जहां कहीं भी वह आया हो, के स्थान पर शब्द "छत्तीसगढ़" स्थापित किए जाए.

3. अनुसूची में विनिर्दिष्ट विधियों द्वारा या उसके अधीन प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए कोई भी बात या की गई कोई कार्यवाही (किसी नियुक्ति, अधिसूचना, सूचना, आदेश, नियम, प्ररूप, विनियम प्रमाण-पत्र या अनुज्ञप्ति को सम्मिलित करते हुए) छत्तीसगढ़ राज्य में लगातार प्रवृत्त रहेंगी.

अनुसूची

अनुक्रमांक (1)	विधियों के नाम (2)
1.	म. प्र. कारागार (जेल) नियम, 1968.
2.	म. प्र. अपराधी परिवीक्षा नियम, 1960
3.	म. प्र. बंदी छुट्टी नियम, 1989
4.	म. प्र. दण्डादेश निलंबन नियम, 1971

(1)	(2)
5.	म. प्र. बंदी परिवीक्षाधीन सम्मोचन नियम, 1964.
6.	म. प्र. बोर्स्टल नियम, 1960.
7.	म. प्र. किशोर न्याय नियम, 1988.
8.	म. प्र. बंदी (न्यायालयों में उपस्थिति) नियम, 1958.
9.	म. प्र. बंदी (कारागार में निरुद्ध बंदियों का स्थानांतरण) आदेश, 1968.
10.	म. प्र. जेल (प्रथम तथा द्वितीय श्रेणी) सेवा भर्ती नियम, 1970.
11.	म. प्र. तृतीय श्रेणी (अलिपिकीय तथा लिपिक वर्गीय) जेल सेवा भर्ती नियम, 1974.
12.	जेल मैनुअल सेवा नियम, (वार्डर).
13.	अभियुक्तों को राज्य के व्यय पर विधिक सहायता नियम, 1976.
14.	म. प्र. निरोध आदेश, 1971.
15.	म. प्र. जेल पूर्ति नियम, 1968.
16.	अपराधी परिवीक्षा अधिनियम, 1958.
17.	बंदी अधिनियम, 1900.
18.	म. प्र. प्रतिबंधात्मक मुक्ति विधान, 1954.
19.	म. प्र. बोर्स्टल अधिनियम, 1928.
20.	सुधारक विद्यालय अधिनियम, 1897.
21.	किशोर न्याय अधिनियम, 1986.
22.	राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, 1980.
23.	चोर बाजारी निवारण और आवश्यक वस्तु प्रदाय अधिनियम, 1980.
24.	म. प्र. बंदी (न्यायालयों में उपस्थिति) अधिनियम, 1955.
25.	बंदियों का स्थानांतरण अधिनियम, 1950.
26.	कारागार (जेल) अधिनियम, 1894.

रायपुर, दिनांक 11 दिसम्बर 2001

क्रमांक एफ 1-68/जेल/2001.—राज्य शासन प्रिजन्स एक्ट 1894 की धारा 59 (27) में प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए जेल नियमावली के नियम 531 के तहत गुरु घासीदास जयंती (18 दिसम्बर) के अवसर पर राज्य की जेलों में परिरुद्ध बंदियों को प्रतिवर्ष विशेष आहार दिये जाने की स्वीकृति प्रदान करता है.

Raipur, the 11th December 2001

No. F 1/68/Jail/2001.—The State Government under the powers conferred by Section (27) read with Section 59 of the Prisons Act 1894 and rule 531 of jail manual of state here by sanction special diet for prisoners of state of Chhattisgarh on the occasion of "Guru Ghasidas Jayanti" (18th of December) every year.

रायपुर, दिनांक 27 दिसम्बर 2001

क्रमांक एफ-1/10/जेल/2001.—राज्य शासन जेल नियमावली के नियम 815 (1) में प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए केन्द्रीय जेल, अंबिकापुर, उप-जेल, कोरबा, कटघोरा एवं उप-जेल, बैकुण्ठपुर में निम्नलिखित व्यक्तियों को तीन वर्ष के लिए अशासकीय संदर्शक नियुक्त करता है :—

क्रमांक (1)	जेल का नाम (2)	अशासकीय संदर्शकों के नाम (3)
1.	केन्द्रीय जेल, अंबिकापुर	I. श्री एल. ए. जामनिक II. श्रीमती रीता सेन III. डॉ. जी. डी. सिंह
2.	उप-जेल, कोरबा	I. श्री दिलदार सिंह ठाकुर II. श्री विजय भूषण पाल सिंह
3.	उप-जेल, कटघोरा	I. श्री द्वारिका प्रसाद अग्रवाल II. श्री गोविन्द नेताम
4.	उप-जेल, बैकुण्ठपुर	I. श्री इन्द्रचन्द जैन II. श्री प्रकाश जायसवाल.

Raipur, the 27th December 2001

No. F-1/10/Jail/2001.—The State Government under the powers conferred by /jail manual rule 815 (1) here by appoints the following persons as Non Official Visitor's for Central Jail, Ambikapur, Sub Jail, Korba, Katghora and Sub Jail, Baikunthpur for three years :—

No. (1)	Name of Jail (2)	Name of Visitors (3)
1.	Central Jail, Abmikapur	i. Shri L.A. Jamnik ii. Smt. Rita Sen iii. Dr. G.D. Singh
2.	Sub Jail, Korba	i. Shri Dilbar Singh Thakur. ii. Shri Vijay Bhusan Pal Singh.
3.	Sub Jail, Katghora	i. Shri Dwarika Prasad Agrawal. ii. Shri Govind Netam.
4.	Sub Jail, Baikunthpur	i. Shri Indrachand Jain. ii. Shri Prakash Jaiswal.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रेणु जी. पिल्ले, संयुक्त सचिव.

पर्यटन विभाग

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 28 दिसम्बर 2001

क्रमांक 329/पर्य./सं./2001.—यत: राज्य सरकार की यह राय है कि ऐसी परिस्थितियां विद्यमान है जिनके कारण लोकहित में यह आवश्यक हो गया है कि छत्तीसगढ़ प्रदेश में "छत्तीसगढ़ पर्यटन विकास बोर्ड" का गठन किया जाए.

अतएव, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, उस तारीख से, "छत्तीसगढ़ पर्यटन विकास मण्डल" का गठन करती है जिस तारीख को यह अधिसूचना छत्तीसगढ़ राजपत्र में प्रकाशित की जाए.

इस अधिसूचना के प्रकाशन के पश्चात् उक्त बोर्ड द्वारा उन समस्त शक्तियों, कृत्यों तथा कर्त्तव्यों का प्रयोग तथा पालन किया जावेगा.

Raipur, the 28th December 2001

No. 329/T/2001.—Whereas the State Government is of the opinion that the circumstances exist which render it necessary in the public interest to create "Chhattisgarh Tourism Development Board" in Chhattisgarh State.

Now, therefore, the State Government hereby constitutes "Chhattisgarh Tourism Development Board" from the date of publication of the notification in Chhattisgarh State Gazette.

After the publication of this notification all the powers, functions and duties shall be exercised and performed by said Board.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अजयपाल सिंह, सचिव.

विधि और विधायी कार्य विभाग

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 7 दिसम्बर 2001

क्रमांक 6435/डी-2812/21-बी.—भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (1988 का सं. 49) की धारा 3 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य सरकार एतद्द्वारा, छत्तीसगढ़ के उच्च न्यायालय से परामर्श के पश्चात्, मध्यप्रदेश राजपत्र दिनांक 8 फरवरी, 1991 में प्रकाशित विधि और विधायी कार्य विभाग, मध्यप्रदेश शासन की अधिसूचना क्रमांक फा. क्र.-1-1-88-इक्कीस-ब, दिनांक 24-1-1991 तथा मध्यप्रदेश राजपत्र दिनांक 17 अप्रैल, 1992 में प्रकाशित समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 28-3-1992 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :—

संशोधन

उक्त अधिसूचना में, निम्नलिखित टिप्पण अंत में जोड़ा जाए, अर्थात् :—

टिप्पण-"यदि कोई अपर सत्र न्यायाधीश (विशेष न्यायाधीश) अवकाश पर जाता है तब संबंधित जिले का सत्र न्यायाधीश अतिआवश्यक कार्य का निर्वहन करने हेतु विशेष न्यायाधीश

के रूप में कार्य करेगा तथा उसकी अनुपस्थिति में, संबंधित मुख्यालय में पदस्थ वरिष्ठतम अपर सत्र न्यायाधीश को, इस प्रयोजन के लिए उक्त विशेष न्यायालय की शक्तियां प्रदत्त की जाती है. प्रत्येक ऐसा न्यायाधीश उस विशेष न्यायालय का विशेष न्यायाधीश समझा जाएगा."

Raipur, the 7th December 2001

No. 8435/D-2812/21-B.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 3 of the Prevention of corruption Act,1988 (No. 49 of 1988), the State Government, after consultation with the High Court of Chhattisgarh, hereby makes the following amendment in this department notifications No. F-No. 1-1-88-XXI-B, dated 24-1-1991 published in the Madhya Pradesh Gazette dated the 8th February 1991 and notification of even No. dated 28-3-1992, published in the Madhya Pradesh Gazette dated the 17th April, 1992 namely :—

AMENDMENT

In the said Notification, the following note shall be added at the end, namely :—

Note—"If any Additional Sessions Judge (Special Judge) proceeds on leave then the Sessions Judge of the concerned District shall act as Special Judge for discharging the urgent work and in his absence, the Senior most Additional Sessions Judge posted at the concerned Head Quarter, is conferred with the powers of said Special Court, for this purpose. Every such Judge shall be deemed to be a Special Judge of that Special Court".

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
टी. सी. यदु, अतिरिक्त सचिव.

वाणिज्य एवं उद्योग, ग्रामोद्योग तथा सार्वजनिक उपक्रम विभाग,

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 26 दिसम्बर 2001

क्रमांक एफ-16-13-11-वा. उ./2001.—चूंकि राज्य शासन को यह समाधान हो गया है कि बेकारी का निवारण करने तथा बेकारी से राहत प्रदान करने और संबंधित उपक्रम के कार्यरत श्रमिक वर्ग के हितों की सुरक्षा करने के उपाय के तौर पर औद्योगिक इकाई अर्थात् अम्बूजा सीमेन्ट इर्स्टन लि. (पूर्व नाम मोदी सीमेन्ट लि.) रायपुर को चालू रखने में समर्थ बनाने की दृष्टि से उक्त औद्योगिक इकाई को सहायता उपक्रम घोषित करना लोकहित में तथा श्रमिकों के हित में आवश्यक तथा समीचीन है.

2. अतएव मध्यप्रदेश सहायता उपक्रम (विशेष उपबंध) अधिनियम, 1979 (क्रमांक 32 सन् 1978) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन एतद्द्वारा निम्नलिखित शर्तों के अधीन औद्योगिक इकाई अर्थात् "अम्बूजा सीमेन्ट इर्स्टन लि. (पूर्व नाम मोदी सीमेन्ट लि.) रायपुर" को दिनांक 1 अप्रैल 2001 से 31 मार्च 2002 तक एक वर्ष की कालावधि के लिए निम्न शर्ताधीन सहायता उपक्रम घोषित करता है :—

1. रायल्टी तथा खनिज क्षेत्र, विकास उप-कर की शेष राशि निर्धारित वार्षिक किश्तों में जमा की जायेगी.

2. विद्युत देयकों का समय पर भुगतान किया जायेगा.

3. वाणिज्यिक कर विभाग की शेष बकाया राशि रुपये 391.40 लाख 2 (दो) समान वार्षिक किश्तों मे जमा की जायेगी.

उपरोक्त शर्तों के पालन की सूचना औद्योगिक इकाई द्वारा समय-समय पर विभाग को देनी होगी.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एस. के. बेहार, संयुक्त सचिव.

रायपुर, दिनांक 26 दिसम्बर 2001

क्रमांक एफ 16-13-11-वा. उ./2001.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-16-13-11-वा. उ./2001 दिनांक 26-12-2001 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एस. के. बेहार, संयुक्त सचिव.

Raipur, the 26th December 2001

No. F-16-13-11-C.I./2001.—Whereas the State Government is satisfied that it is necessary as well as expedient in the Public Interest and in the interest of workers to declare the Industrial Unit, namely Ambuja Cement Eastern Ltd., formerly Modi Cement Ltd., Raipur, a relief undertaking with a view to enabling the continued running of Industrial Unit as a measure of preventing and of providing relief against unemployment and also to safeguard the interest of the labour working in the said Industrial unit.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by the provision to Section 3 of the Madhya Pradesh Sahayata Upkram (Vishesh Upbandh) Sansodhan Adhiniyam 1978 (No. 32 of 1978) the State Government hereby declare the Industrial Unit namely "Ambuja Cement Eastern Ltd., (formerly Modi Cement Ltd.), Raipur" a relief undertaking for a further period of one year with effect from 1st April, 2001 to 31st March. 2002 under the following terms and conditions :—

1. Payment due on Royalty and Mining area development cess will be paid in prescribed annual installments.

2. Electricity bill will be paid in time.

3. Payment of Rs. 391.40 lakhs due on Sales Tax Department will be paid in 2 annual installments.

The unit will timely intimate fulfilment of conditions to the department.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
S. K. BEHAR, Joint Secretary.

जल संसाधन विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 31 दिसम्बर 2001

क्रमांक 3217/4064/ज.सं.वि./2001.—मध्यप्रदेश शासन, जल संसाधन विभाग भोपाल के आदेश क्रमांक एफ. 3 (ए) 10/2000/पी/31 (पार्ट) दिनांक 20 जून, 2001 द्वारा मुख्य अभियंता (सिविल) के पद पर पदोन्नत श्री मनोज कुमार शुक्ला, हसदेव नहर मण्डल, कोरबा को राज्य शासन एतद्द्वारा तत्काल प्रभाव से, अस्थाई रूप से, आगामी आदेश पर्यन्त मुख्य अभियंता, महानदी जलाशय परियोजना, रायपुर (श्री एम. एस. चन्देल की सेवानिवृत्ति उपरांत) कार्यग्रहण करने के दिनांक से रिक्त पद पर पदस्थ करता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. एम. वर्मा, अवर सचिव.

विभाग प्रमुखों के आदेश

श्रमायुक्त कार्यालय, छत्तीसगढ़, रायपुर

रायपुर, दिनांक 23 नवम्बर 2001

क्रमांक 1 (ए)/2/नवम/(1)/2001/5211-31.—मैं, एम. एस. मूर्ति, श्रम आयुक्त राज्य शासन के श्रम विभागीय आदेश क्रमांक 473/7258/16, दिनांक 24 जनवरी, 1961 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को उपयोग में लाते हुए एतद्द्वारा मध्यप्रदेश दुकान व स्थापना अधिनियम, 1958 (क्रमांक 25 सन् 1958) की धारा 40 की उप-धारा (2) के अन्तर्गत निम्न सारिणी के स्तंभ क्रमांक 2 में दर्शाये गये व्यक्तियों को उसी सारिणी के स्तंभ क्रमांक (3) में दर्शाये गये स्थानीय क्षेत्रों के लिये "निरीक्षक" नियुक्त करता हूं :—

अ. क्र. (1)	निरीक्षक का नाम (2)	अधिकार क्षेत्र (3)
1.	श्री राजेश आदिले	संपूर्ण राज्य में सभी स्थानीय क्षेत्रों एवं सभी प्रकार के संस्थानों के लिये जिन पर यह अधिनियम लागू होता है.
2.	श्री कलादियुस खलखो	
3.	श्री प्रेमनारायण रात्रे	
4.	श्री टी. एन. तरार	
5.	श्री रामलाल शर्मा	

(1)	(2)	(3)
6.	श्री भूपतलाल देवांगन	संपूर्ण राज्य में सभी स्थानीय क्षेत्रों एवं सभी प्रकार के संस्थानों के लिये जिन पर यह अधिनियम लागू होता है.
7.	श्री एन. के. नामदेव	
8.	श्रीमति मीरा पदम	
9.	श्री एन. के. ठाकुर	
10.	श्री केजूराम ध्रुव	
11.	श्रीमति प्रेमी कुजूर	
12.	श्री एम. के. सिंह	

सही/-
(एम. एस. मूर्ति)
श्रमायुक्त,
छत्तीसगढ़, रायपुर.

संचालनालय, जीवन बीमा विभाग, रायपुर

रायपुर, दिनांक 21 नवम्बर 2001

क्रमांक 9/जी.बी./2001.—छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग के आदेश क्रमांक 446/609/स्था./2001 दिनांक 25-7-2001 के अनुसार संचालनालय, जीवन बीमा छत्तीसगढ़ के कार्यालय का संचालनालय, कोष एवं लेखा छत्तीसगढ़ में विलय का निर्णय लिया गया है. उक्त विलय के फलस्वरूप संचालक, जीवन बीमा को प्रदत्त समस्त अधिकारों का उपयोग एवं दायित्वों का निर्वहन संचालक, कोष एवं लेखा द्वारा किया जायेगा.

अत: मैं दिनांक 21-11-2001 अपरान्ह में संचालनालय, जीवन बीमा का कार्यभार ग्रहण करता हूं.

सही/-
(व्ही. के. कपूर)
आयुक्त,
कोष एवं लेखा, छत्तीसगढ़.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला दन्तेवाड़ा एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

रायपुर, दिनांक 29 नवम्बर 2001

संशोधित अधिसूचना

क्रमांक 6215/02/अ-82/2000-2001.—इस कार्यालय के अधिसूचना क्रमांक 5312/02/अ-82/2000-2001 दन्तेवाड़ा, दिनांक 4 अक्टूबर, 2001, जो छत्तीसगढ़ शासन के राजपत्र के पृ. 701 में दिनांक 2 नवम्बर, 2001 भाग-एक में प्रकाशित किया गया है. उक्त अधिसूचना में संलग्न अनुसूची के खाने (6) में ''शंखनी नदी सेतु हेतु पहुंचमार्ग निर्माण'' के स्थान पर शबरी नदी सेतु हेतु पहुंमार्ग निर्माण पढ़ा जाये.

हस्ता/-
(एम. एस. पैकरा)
कलेक्टर,
जिला दन्तेवाड़ा एवं पदेन उप-सचिव,
छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग.

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला कवर्धा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

कवर्धा, दिनांक 27 नवम्बर 2001

प्र. क्र. 1-अ-82/2001-2002.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
कवर्धा	कवर्धा	स/लोहारा	0.50	खंड चिकित्सा अधिकारी, भवन स/लोहारा	अस्पताल भवन निर्माण हेतु.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एम. आर. ठाकुर, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला जांजगीर-चांपा, .छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

जांजगीर-चांपा, दिनांक 20 दिसम्बर 2001

क्रमांक क/भू-अर्जन/ 1.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम. 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चांपा	जांजगीर	हरदी विशाल प. ह. नं. 23	2.055	सीनियर मैनेजर एन.टी.पी.सी. सीपत, बिलासपुर.	पंप हाऊस निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व जांजगीर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मनोज कुमार पिंगुआ, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला कोरबा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

कोरबा, दिनांक 27 दिसम्बर 2001

क्रमांक 87.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
कोरबा	कोरबा	बंजारी प. ह. नं. 24	1.542	कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो नहर संभाग क्र.-2, चाम्पा.	बंजारी माइनर नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

कोरबा, दिनांक 27 दिसम्बर 2001

क्रमांक 88.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
कोरबा	कोरबा	नवलपुर प. ह. नं. 24	1.721	कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो नहर संभाग क्र.-2, चाम्पा.	बंजारी माइनर नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

कोरबा, दिनांक 27 दिसम्बर 2001

क्रमांक 89.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
कोरबा	कोरबा	चिचोली प. ह. नं. 19	2.350	कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो नहर संभाग क्र.-2, चाम्पा.	चिचोली माइनर नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

कोरबा, दिनांक 27 दिसम्बर 2001

क्रमांक 90.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधि 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्ति इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
कोरबा	कोरबा	कचोरा प. ह. नं. 19	1.433	कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो नहर संभाग क्र.-2, चाम्पा.	कचोरा माइनर नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

कोरबा, दिनांक 27 दिसम्बर 2001

क्रमांक 91.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
कोरबा	कोरबा	पचपेड़ी प. ह. नं. 23	0.555	कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो नहर संभाग क्र.-2, चाम्पा.	कोथारी माइनर नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

कोरबा, दिनांक 27 दिसम्बर 2001

क्रमांक 92.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
कोरबा	कोरबा	कोथारी प. ह. नं. 19	2.817	कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो नहर संभाग क्र.-2, चाम्पा.	कोथारी माइनर नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राजकमल, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला दुर्ग, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

दुर्ग, दिनांक 24 दिसम्बर 2001

क्रमांक 396/प्र. 1/2001—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
दुर्ग	साजा	पद्मी	1.19	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग बेमेतरा, जिला दुर्ग (छ.ग.).	हथमुडी व्यपवर्तन मुख्य नहर.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी, साजा के कार्यालय में किया जा सकता है.

दुर्ग, दिनांक 24 दिसम्बर 2001

क्रमांक 397/प्र. 1/2001—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधि[illegible] 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा [illegible] गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता हूं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
दुर्ग	साजा	चिल्फी प. ह. नं. 18	0.10	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, बेमेतरा.	झिपनिया, जलाशय ड्रेन नाली

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी, साजा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

दुर्ग, दिनांक 31 दिसम्बर 2001

क्रमांक 2209/ले. पा./भू-अर्जन/2001—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है, राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 "अ" के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध लागू होंगे, उसके संबंध में लागू होते है. :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
दुर्ग	गुंडरदेही	मोंहदीपाट	20.03	कार्यपालन यंत्री, खरखरा मोंहदीपाट नहर परियोजना संभाग, दुर्ग.	नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी, पाटन मु. दुर्ग में देखा जा सकता है.

दुर्ग, दिनांक 4 जनवरी 2002

क्रमांक 1536/अ-82/भू-अर्जन/2001.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
दुर्ग	धमधा	घोठा	3.49	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन, दुर्ग	आमनेर-मोतीनाला व्यपवर्तन (मुख्य नहर).

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, दुर्ग के कार्यालय में देखा जा सकता है.

दुर्ग, दिनांक 4 जनवरी 2002

क्रमांक 1537/अ-82/भू-अर्जन/2001.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता हूं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
दुर्ग	धमधा	घोटवानी प. ह. नं. 15	1.31	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन, दुर्ग	आमनेर-मोतीनाला व्यपवर्तन (मुख्य नहर)

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, दुर्ग के कार्यालय में देखा जा सकता है.

दुर्ग, दिनांक 4 जनवरी 2002

क्रमांक 1538/अ-2/भू-अर्जन/2001.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता हूं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
दुर्ग	धमधा	हिरेतरा प. ह. नं. 14	4.80	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन, दुर्ग	आमनेर-मोतीनाला व्यपवर्तन (मुख्य नहर)

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी, एवं भू-अर्जन अधिकारी, दुर्ग के कार्यालय में देखा जा सकता है.

दुर्ग, दिनांक 4 जनवरी 2002

क्रमांक 1539/अ-82/भू-अर्जन/2001.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता हूं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
दुर्ग	धमधा	अछोली प. ह. नं. 14	4.49	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन, दुर्ग	आमनेर-मोतीनाला व्यापवर्तन (मुख्य नहर)

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, दुर्ग के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आई. सी. पी. केशरी, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

निर्वाचन आयोग, भारत की अधिसूचनाएं

कार्यालय, मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, छत्तीसगढ़, रायपुर

रायपुर, दिनाक 12 नवम्बर, 2001

क्र. फा. 3/4/2001/1052.—भारत निर्वाचन आयोग की अधिसूचना संख्या 56/2001/न्यायिक-III, दिनांक 3 अप्रैल, 2001 सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित की जाती है.

अजय सिंह,
मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी.

भारत निर्वाचन आयोग

नई दिल्ली, तारीख 3 अप्रैल, 2001-13 चैत्र, 1923 (शक)

अधिसूचना

संख्या 56/2001/न्यायिक-III.—यत: निर्वाचन आयोग ने निर्वाचन प्रतीक (आरक्षण और आवंटन) आदेश, 1968 के पैरा 17 के अनुसरण में जारी, मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय और राज्यीय दलों, रजिस्ट्रीकृत अमान्यता प्राप्त दलों और मुक्त प्रतीकों की सूची को विनिर्दिष्ट करने वाली, समय-समय पर यथा संशोधित अपनी अधिसूचना सं. 56/99/न्यायिक-III, तारीख 30 जुलाई, 1999 को अद्यतन करने का निर्णय लिया है;

2. अत: अब, निर्वाचन प्रतीक (आरक्षण और आवंटन) आदेश, 1968 के पैरा 17 के अनुसरण में, समय-समय पर यथा संशोधित भारत के राजपत्र, असाधारण भाग-II, खण्ड-3, उप-खण्ड (III) में प्रकाशित तारीख 30 जुलाई, 1999 की अपनी उपर्युक्त मुख्य अधिसूचना 56/99/न्यायिक-III के अधिक्रमण में निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा विनिर्दिष्ट करता है :—

(क) सारणी-I में, राष्ट्रीय दल और उनके लिए क्रमश: आरक्षित प्रतीक;

(ख) सारणी-II में, राज्यीय दल राज्य या वे राज्य या वे राज्य जहां ये राज्यीय दल हैं और ऐसे राज्य या राज्यों में उनके लिए क्रमश: आरक्षित प्रतीक;

(ग) सारणी-III में, रजिस्ट्रीकृत अमान्यता प्राप्त राजनैतिक दल और उनके मुख्यालय का पता; और

(घ) सारणी-IV में, मुक्त प्रतीक.

सारणी—I

राष्ट्रीय दल

क्र. सं. (1)	राष्ट्रीय दल (2)	आरक्षित प्रतीक (3)	पता (4)
1.	बहुजन समाज पार्टी	हाथी (असम और सिक्किम राज्यों को छोड़कर सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में, इनके अभ्यर्थियों को आयोग द्वारा विनिर्दिष्ट मुक्त प्रतीकों की सूची में से अन्य प्रतीक चयन करना होगा).	12, गुरुद्वारा रकाबगंज रोड, नई दिल्ली-110001.
2.	भारतीय जनता पार्टी	कमल	11, अशोक रोड, नई दिल्ली-110002.
3.	कम्युनिस्ट पार्टी आफ इंडिया	बाल और हंसिया	अजय भवन, कोटाला मार्ग, नई दिल्ली-110002.
4.	कम्युनिस्ट पार्टी आफ इंडिया (मार्क्सीसिस्ट)	हथौड़ा, हंसिया और सितारा	ए. के. गोपालन भवन-27-29, भाई वीर सिंह मार्ग, (गोल मार्किट), नई दिल्ली-110001.
5.	इंडियन नेशनल कांग्रेस	हाथ	24, अकबर रोड, नई दिल्ली-110011.
6.	नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी	घड़ी	10, बिशम्बर दास मार्ग, नई दिल्ली-110001.

सारणी—II

राज्यीय दल

क्र.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	राज्यीय दल का नाम	आरक्षित प्रतीक	पता
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)

(छत्तीसगढ़ राज्य से संबंधित नहीं है)

सारणी—III

रजिस्ट्रीकृत अमान्यता प्राप्त दल

क्र. सं. (1)	रजिस्ट्रीकृत अमान्यता प्राप्त राजनैतिक दल (2)	मुख्यालय का पता (3)
1.	छत्तीसगढ़ किसान मजदूर पार्टी	जनरल पोस्ट शक्ति, वार्ड नं.-5, जिला बिलासपुर (छत्तीसगढ़).
2.	छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा	पो. आ. दल्ली राजहरा, जिला-दुर्ग 491228 (छत्तीसगढ़).
3.	छत्तीसगढ़ समाज पार्टी	हांडीपारा आजाद चौक, रायपुर-492001 (छत्तीसगढ़).
4.	गोंडवाना गणतंत्र पार्टी	ग्राम व पो. आ. तिवेर्थ, तहसील-कटघोरा, जिला-कोरबा (छत्तीसगढ़).
5.	युवा गणतंत्र पार्टी	सरदार पटेल नगर, जमनीपाली-कोरबा, जिला कोरबा (छत्तीसगढ़).

सारणी—IV

(मुक्त प्रतीकों की सूची)

1. वायुयान
2. अलमारी
3. कुल्हाड़ी
4. गुब्बारा
5. केला
6. चूड़िया
7. टोकरी
8. बल्ला
9. बल्लेबाज
10. बैटरी-टार्च
11. मोतियों की माला
12. ब्लैक बोर्ड
13. किताब
14. डबलरोटी
15. ईट
16. पुल
17. ब्रीफकेश
18. बैंगन
19. ब्रुश
20. बंगला
21. बस

22. केक
23. कैमरा
24. मोमबत्तियां
25. कार
26. कैरम वोर्ड
27. गाजर
28. छत का पंखा
29. कुर्सी
30. कोट
31. नारियल
32. कंघा
33. चारपाई
34. कप और प्लेट
35. दाव
36. डीजल पम्प
37. डोली
38. बिजली का खंभा
39. लिफाफा
40. कांटा
41. फ्राक
42. फ्राइंग पैन
43. गैस सिलेण्डर
44. गैस का चूल्हा
45. कांच का गिलास
46. हस्त चलित पम्प

47. हैंगर
48. हारमोनियम
49. टोप
50. आइस क्रीम
51. स्याही की दवात और कलम
52. प्रेस
53. जग
54. केतली
55. पतंग
56. लेडी पर्स
57. लैटर बाक्स
58. ताला और चाबी
59. मक्का
60. नैकटाई
61. प्रैशर कुकर
62. रेल का इंजन
63. अंगूठी
64. रोड रोलर
65. आरी
66. कैंची
67. सिलाई की मशीन
68. शटल
69. स्लेट
70. चम्मच
71. स्टूल

72. मेज

73. टैबल लैम्प

74. टेलीविजन

75. टैन्ट

76. टाफी

77. वायलिन

78. छड़ी

79. सीटी

80. अपने सिर पर कलश ले जाती हुई औरत

81. ऊन

आदेश से,
हस्ता./-
(के. जे. राव)
सचिव,
भारत निर्वाचन आयोग.

ELECTION COMMISSION OF INDIA

New Delhi, Dated 3rd April, 2001-13 Chaitra, 1923 (Saka)

NOTIFICATION

No. 56/2001/Jud-III.—WHEREAS, the Election Commission has decided to update its notification No. 56/99/Jud III, dated 30th July, 1999, specifying the names of recognised National and State Parties, registered-unrecognised parties and the list of free symbols, issued in pursuance of paragraph 17 of the Election Symbols (Reservation and Allotment) Order, 1968, as amended from time to time.

2. NOW, THEREFORE, in pursuance of paragraph 17 of the Election Symbols (Reservation and Allotment) Order, 1968, and in supersession of its aforesaid principal notification No. 56/99/Jud III, dated 30th July, 1999, published in the Gazette of India, Extra-Ordinary, Part-II, Section-3, Sub-section (iii), and as amended from time to time, the Election Commission hereby specifies :—

(a) In Table I, the National Parties and the Symbols respectively reserved for them;

(b) In Table II, the State parties, the State or States in which they are State parties and the Symbols respectively reserved for them in such State or States;

(c) In Table III, the registered-unrecognized political parties and postal address of their Headquarter; and

(d) In Table IV, the free symbols.

TABLE—I

NATIONAL PARTIES

Sl. No. (1)	National Parties (2)	Symbol reserved (3)	Address (4)
1.	Bahujan Samaj Party	Elephant (In all States/U.T s. except in the States of Assam and Sikkim, where its candidates will have to choose another symbol from out of the list of free symbols specified by the Commission).	12, Gurudwara Rakabganj Road, New Delhi-110001.
2.	Bharatiya Janata Party	Lotus	11, Ashoka Road, New Delhi-110001.
3.	Communist Party of India	Ears of Corn and Sickle	Ajoy Bhawan, Kotla Marg, New Delhi-110002.
4.	Communist Party of India (Marxist)	Hammer, Sickle and Star	A. K. Gopalan Bhawan, 27-29, Bhai Vir Singh Marg, (Gole Market), New Delhi-110001.
5.	Indian National Congress	Hand	24, Akbar Road, New Delhi-110011.
6.	Nationalist Congress Party	Clock	10, Bishambhar Das Marg, New Delhi-110001.

TABLE—III

REGISTERED UNRECOGNISED PARTIES

1.	Chhattisgarh Kisan Mazdoor Party	General Post-Sakti, Ward No. 5 Distt. Bilaspur (Chhattisgarh).
2.	Chhattisgarh Mukti Morcha	P. O. Dalli Rajhara, Distt. Durg-491228 (Chhattisgarh).
3.	Chhattisgarh Samaj Party	Handipara, Azad Chowk, Raipur-492001 (Chhattisgarh).
4.	Gondvana gantantra Party	Village & P. O. Tiverth, Tehsil Katghora, Distt. Bilaspur (Chhattisgarh).
5.	Yuva Gantantra Party	Sardar Patel Nagar, Jamnipali-Korba, Distt. Korba (Chhattisgarh).

TABLE—IV

(LIST OF FREE SYMBOLS)

1. Aeroplane
2. Almirah
3. Axe
4. Balloon
5. Banana
6. Bangles
7. Basket
8. Bat
9. Batsman
10. Battery Torch
11. Bead Necklace
12. Black Board
13. Book
14. Bread
15. Brick
16. Bridge
17. Brief Case
18. Brinjal
19. Brush
20. Bungalow
21. Bus
22. Cake
23. Camera
24. Candles
25. Car
26. Carrom Board
27. Carrot
28. Ceiling Fan

29. Chair
30. Coat
31. Coconut
32. Comb
33. Cot
34. Cup & Saucer
35. Dao
36. Diesel Pump
37. Dolli
38. Electric Pole
39. Envelope
40. Fork
41. Frock
42. Frying Pan
43. Gas cylinder
44. Gas Stove
45. Glass Tumbler
46. Hand Pump
47. Hanger
48. Harmonium
49. Hat
50. Ice Cream
51. Ink Pot & Pen
52. Iron
53. Jug
54. Kettle
55. Kite

56. Lady Purse
57. Letter Box
58. Lock and Key
59. Maize
60. Neck Tie
61. Pressure Cooker
62. Railway Engine
63. Ring
64. Road Roller
65. Saw
66. Scissors
67. Sewing Machine
68. Shuttle
69. Slate
70. Spoon
71. Stool
72. Table
73. Table Lamp
74. Television
75. Tent
76. Toffee
77. Violin
78. Walking Stick
79. Whistle
80. Woman carrying Pot on her head
81. Wool

By order,
Sd/-
(K. J. RAO)
Secretary to the
Election Commission of India.